सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर / उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023 / 101 (38 / 2023) दर्ज तिथिः—18.04.2023

1. सरदारा पुत्र काना
2. हीरोदेवी पत्नी खुमाराम
   जाति जाट निवासी बैरड़ों का पाना तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र भीखाराम
2. रामसिंह पुत्र भीखाराम फौत के कायम मुकाम
   2 / 1 हरीश कुमार पुत्र रामसिंह
   2 / 2 दिनेश कुमार पुत्र रामसिंह
   2 / 3 भीखीदेवी पत्नी रामसिंह
   जाति जाट निवासी बैरड़ों का पाना तहसील गुड़ामालानी
3. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा राणा प्रताप बाजा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीः—श्री बाबूलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,89,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:निर्णयः—

निर्णय तिथिः—25.05.2026

1. आज पत्रावली अन्तर्गत धारा—88,89 राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 वास्ते निर्णय हेतु पेश हुई। पत्रावली का सुक्ष्म वृतान्त इस प्रकार से है कि वादीगण द्वारा वाद—पत्र न्यायालय में प्रस्तुत कर निवेदन किया कि हाल आराजी खसरा संख्या 529 / 1 रकबा 6.9201 है0 मौजा बैरड़ों का पाना पटवार हल्का पीपराली तहसील गुड़ामालानी में स्थित है। उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 529 से कायम किया गया है। उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 529 के खातेदारों द्वारा उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 529 में से प्रथम बेचान वादीगण के पूर्वजों के पक्ष में तथा

द्वितीय बेचान प्रतिवादी संख्या 01—02 को किया जाकर वक्त बेचान एवं बेचान दस्तावेजात् के आधार पर पक्षकारान को कब्जा सुपुर्द किया गया। उसी अनुसार मौके पर पक्षकार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण की आराजी वादवर्णित अक्षांश व देशांतर स्थिति के मध्य आई हुई है। जिस पर वादीगण का अपने खसरा संख्या 529/1 पर कब्जा काश्त है। परंतु मौके पर खसरा संख्या 529/1 की तरमीम वादवर्णित अक्षांश व देशांतर स्थिति से भिन्न की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की जाती है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। अन्त में निवेदन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादवर्णित अक्षांश व देशांतर स्थिति के मध्य आई आराजी के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर तरमीम दुरूस्त करते हुए प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

2. वाद—पत्र दर्ज रजिस्टर किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये सम्मन तलब किया गया। असल प्रतिवादीगण बाद विधिवत तामील हाजिर न्यायालय होकर जवाबदावा प्रस्तुत कर निम्न प्रकार निवेदन किया कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा मूल खसरा संख्या 529 के अलग—अलग भागों को जरिये पंजीबद्ध बयनामा क्रय किया जाकर मौके पर पंजीबद्ध बयनामा में उल्लेखित हिस्सा अनुसार ही कब्जा प्राप्त किया जाकर वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बयनामा में किसी प्रकार के अक्षांश व देशांतर स्थिति के संबंध में उल्लेख नहीं किया जाकर पूर्व खातेदारों द्वारा केवल अपना हिस्सा बेचान किया गया था। वर्तमान में वादीगण प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 529 की नेखमबंदी नहीं होने देने हेतु वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश किया जाकर प्रतिवादीगण की सेढा माठ तोड़ने पर आमादा हुए हैं। इस प्रकार उक्त वाद प्रतिवादीगण की नेखमबंदी की पालना को रोकने, प्रतिवादीगण को अपनी आराजी बताते हुए अपना अधिकार जताने हेतु मिथ्या तथ्यों एवं विधिविरूद्ध वाद पेश किया होने से वाद वादी खारिज फरमाया जावे। साथ ही प्रतिवादी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व मजाहमात पैदा नहीं करें।

3. प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली पर निम्नानुसार तनकीयात कायम किये गयेः—

    1. आया वादीगण वाद वर्णित क्षेत्र पर दीर्घकाल से कब्जा होने के आधार पर अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

        .....वादी

    2. आया वादीगण वाद वर्णित क्षेत्र पर बेचान दस्तावेज के आधार पर दीर्घकाल से कब्जा होने के आधार पर अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम दुरूस्त करवाने के पश्चात विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वादपत्र वर्णित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।

        .....वादी

    3. आया वादी के बेचान के पंजीकृत दस्तावेज में अक्षांश व देशांतर का कोई उल्लेख नहीं होने तथा उक्त अक्षांश व देशांतर के आधार पर प्रतिवादी की आराजी पर अवैध दखलांदाजी व कब्जा करने के उद्देश्य

निहित होने के कारण तरमीम दुरूस्त का अनुतोष पोषणीय नहीं होने तथा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल—ए—खारिज है।

.....प्रतिवादी

4. अन्य दादरसी

.....उभय—पक्षकारान

4. प्रकरण में उक्त प्रकार से कार्यवाही किये जाने पर विचारण आरम्भ किया गया। प्रकरण में वादीगण के वादपत्र एवं प्रतिवादीगण के जबाबदावा के पश्चात् पत्रावली वादीगण साक्ष्य में नियत की गई। प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न दस्तावेज प्रस्तुत कर प्रदर्श अंकित किए—

दस्तावेज	संवत/विवरण	प्रदर्श
जमाबंदी	ग्राम बेरड़ो का पाना के खसरा संख्या 290/1, 290/2, 529 की जमाबंदी	प्रदर्शपी—01
नक्शा	ग्राम बेरड़ो का पाना के खसरा संख्या 529 का खसरा नक्शा	प्रदर्शपी—02
नामांतरकरण	ग्राम बेरड़ो के पाना के खसरा संख्या 529/1 की जमाबंदी नकल	प्रदर्शपी—03
नक्शा	ग्राम बेरड़ो का पाना के खसरा संख्या 529/1 का खसरा नक्शा	प्रदर्शपी—04
—	ग्राम बेरड़ो का पाना के खसरा संख्या 529 के चारो तरफ के कोनो में बनी बाड़ व तारबंदी में लगे सीणों के अक्षांश देशान्तर अंकित छायाचित्र	प्रदर्शपी—05—08

5. प्रकरण में वादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
सरदाराराम पुत्र कानाराम	जाट	बेरड़ों का पाना	पी0डब्ल्यू—1
भारूराम पुत्र सरदाराराम	जाट	बेरड़ों का पाना	पी0डब्ल्यू—2
उगराराम पुत्र लुंभाराम	जाट	बेरड़ों का पाना	पी0डब्ल्यू—3

6. प्रकरण में सरदाराराम पुत्र कानाराम पी.डब्ल्यू—01, भारूराम पुत्र सरदाराराम पी. डब्ल्यू—02 एवं उगराराम पुत्र लुंभाराम पी.डब्ल्यू—3 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—

- कि मुतनाजा आराजी मूल खसरा संख्या 529 से कायम किया गया है। उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 529 के खातेदारों द्वारा उक्त आराजी मूल खसरा संख्या 529 में से प्रथम बेचान वादीगण के पूर्वजों के पक्ष में तथा द्वितीय बेचान प्रतिवादी संख्या 01—02 को किया जाकर वक्त बेचान एवं बेचान दस्तावेजात् के आधार पर पक्षकारान को कब्जा सुपुर्द किया गया। उसी अनुसार मौके पर पक्षकार काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण की आराजी वादवर्णित अक्षांश व देशांतर स्थिति के मध्य आई हुई है। जिस

पर वादीगण का अपने खसरा संख्या 529/1 पर कब्जा काश्त है। परंतु मौके पर खसरा संख्या 529/1 की तरमीम वादवर्णित अक्षांश व देशांतर स्थिति से भिन्न की गई है। प्रतिवादीगण द्वारा वादी के कब्जे काश्त में रूकावट मजाहमत पैदा की जाती है तो वादी को नापूर्ति होने वाली क्षति साबित है। अन्त में निवेदन किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी को कब्जा मुखालखाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे।

- कि वादी द्वारा वाद के समर्थन में पैरा संख्या 04 में उल्लेखित दस्तावेज प्रदर्शित करवाये गये हैं।

7. प्रकरण में सरदाराराम पुत्र कानाराम पी.डब्ल्यू.—01 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मैंने यह दावा कब पेश किया जिसकी तारीख और सन मुझे याद नहीं है। मेरी ढाणी किस खसरे में है मुझे खसरा संख्या ध्यान नहीं है। वादग्रस्त आराजी मोडाराम देवाराम से क्रय की है। उक्त आराजी किस सन में क्रय की मुझे ध्यान नहीं है। यह बात सही है कि वादग्रस्त खसरे में मेरी ढाणी नही है वादग्रस्त खसरे में मेरा भाई खूमाराम ढाणी बनाकर रह रहा है। वादग्रस्त आराजी 44 बीघा की है।

प्रश्नः—अक्षांश व देशान्तर जिसके बीच में खसरा स्थित है यह अक्षांश देशान्तर क्या है?

उत्तरः— अक्षांश व देशान्तर जो मोबाईल में आए वह मैंने वकील साहब से लिखवाए है।

प्रश्नः—अक्षांश व देशान्तर क्या है?

उत्तरः—मुझे अक्षांश व देशान्तर क्या है मुझे कोई जानकारी नहीं है।

प्रश्नः—अक्षांश व देशान्तर के बीच खसरा स्थित है इसकी जानकारी आपको किसने दी?

उत्तरः—मुझे अशांक्ष व देशान्तर की जानकारी फोनवाले ने दी है और मैने यह जानकारी वकील साहब को दी।

प्रश्नः—प्रदर्श—5 से 8 जो फोटोग्राफ पेश किये गये है वो कौनसे खसरे के है?

उत्त्रः—प्रदर्श—5 से 8 जो फोटोग्राफ पेश किये है वो खसरा संख्या मुझे याद नहीं है।

प्रश्नः—उक्त दावा पेश होने से पहले नेखमबंदी के लिए तहसील कार्यालय से नोटिस आए थे क्या?

उत्तरः—मेरे पास कोई नोटिस नहीं आए थे।

प्रश्नः—प्रदर्श—5 से 8 पेश किये गये है उक्त फोटो खीचने के मौके पर कौन आया था?

उत्तरः—फौटो मेरे लड़के ने खीचे है।

प्रश्नः—यह दावा पेश किसने किया?

उत्तरः— यह दावा मैंने खुद किया।

प्रश्नः— उक्त दावा में आपके अलावा और कौन वादी है?

उत्तरः— वादी कौन है मुझे पता नही।

प्रश्नः— विक्रेता द्वारा बेची गई जमीन का मूल खसरा संख्या कौनसा है जिसमें से आपको नया खसरा दिया गया?
उत्तरः—मुझे खसरा संख्या याद नहीं क्योंकि बहुत समय बीत चुका है।
प्रश्नः— क्या यह बात सही है कि आपकी ढाणी इस खसरे में नहीं होकर किसी अन्य खसरे में है?
उत्तरः—मेरे ढाणी इसी खसरे में है किसी अन्य खसरे में बनी हुई नहीं है।
प्रश्नः— मौके पर आपकी जमीन किसी पड़ौसी खातेदार के कब्जे में है या नहीं?
उत्तरः—नहीं।
प्रश्नः— आपने बताया कि आपकी जमीन 44 बीघा है क्या आपने कभी पटवारी से नाम करवाया?
उत्तरः—जब जमीन खरीदी तब नाप करवाकर ही खरीदी और सेढ़ा किया था।
प्रश्नः— वर्तमान मौके पर उक्त जमीन 44 बीघा से कम है या ज्यादा है इसके बारे में आपको कोई ज्ञान है?
उत्तरः—मैंने 44 बीघा मानकर जमीन खरीदी थी वर्तमान में कागजों में कितनी है मुझे पता नही।
प्रश्नः— प्रदर्शपी—3 वर्तमान समय में आपकी खातेदारी की राजस्व रिकॉर्ड में जमीन कितनी है? या कितनी है0 है?
उत्तरः— वर्तमान में है0 की मुझे जानकारी नहीं है लड़को को पुछ कर बताउगा।
प्रश्नः— खसरा संख्या 529 की नेखमबंदी के लिए एक वाद श्रीमान एसडीओ कोर्ट गुड़ामालानी में निर्णित हुआ था जिसमें आपने अपना पक्ष रखने के लिए अपना अभिभाशक पत्र पेश करते हुए अपना अधिवक्ता नियुक्त किया था क्या आपको जानकारी है?
उत्तरः—मुझे इसकी जानकारी नहीं है
प्रश्नः— फाईल में आपकी तरफ से शपथ पत्र पेश हुआ जिसकी आपको जानकारी है या नहीं?
उत्तरः— शपथ पत्र की मुझे जानकारी है।
प्रश्नः— जो शपथ पत्र पेश किया है उस पर आपके अलावा ओर किस किस के हस्ताक्षर है?
उत्तरः—शपथ पत्र में और किसके हस्ताक्षर है मुझे ध्यान नहीं।
प्रश्नः— इस वादपत्र में आपके साथ में किस किस ने हस्ताक्षर किये है?
उत्तरः—मैंने अकेले ने दावा पेश किया और कोई वादी साथ में नहीं है।

8. प्रकरण में भारूराम पुत्र सरदाराराम पी.डब्ल्यू.—02 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि वादग्रस्त जमीन को मूल रूप से मोडाराम ने कानाराम को बेची थी। यह खसरा लगभग 43 बीघा का था। यह कहना सही है कि यह पूरी जमीन मोडाराम ने कानाराम को बेची थी। इस जमीन की रजिस्ट्री कब हुई इस बारे में मुझे कोई जानकारी नही है। आपने शपथ पत्र में अक्षांश व देशान्तर लिखा है वह कितने अक्षांश व देशांतर के बीच आई हुई है मुझे पता नहीं है। सरदाराम की जमीन पर कब्जा करने के लिए भगवानाराम और रामसिंह ने कभी झगड़ा नहीं किया। यह कहना सही है कि इस जमीन का नेखमबंदी का आदेश हुआ था और मौके पर आरआई और पटवारी आए थे यह मेरी जानकारी में है। जब पटवारी और आईएलआर मौके पर आए उससे कुछ दिन पहले यह वाद

दायर किया हुआ है तो इसकी मुझे जानकारी नहीं है। प्रदर्शपी 05 लगायत 08 के फोटो खींचे तब मैं मौके पर हाजिर था। जमाबंदी में तीन खसरे है यह किस खसरा संख्या के फोटो पेश किये है मुझे खसरा संख्या याद नहीं है। यह कहना सही है कि वादग्रस्त आराजी में सरदाराराम का घर नहीं है।

9. प्रकरण में उगराराम पुत्र लुंभाराम पी.डब्ल्यू.—03 ने प्रतिवादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि मेरा जन्म कब हुआ मुझे याद नहीं है लेकिन मैं 59 वर्ष का हूं।

प्रश्नः—यह रजिस्ट्री आपके जन्म से पहले की है या बाद की है?
उत्तरः—रजिस्ट्री कब हुई मुझे याद नहीं।
प्रश्नः—वादग्रस्त जमीन के कितने खसरे है?
उत्तरः—वादग्रस्त जमीन का 1 खसरा है।
प्रश्नः—वादग्रस्त जमीन कितने बीघा है?
उत्तरः—वादग्रस्त जमीन 43 बीघा एव कुछ उपर है।
प्रश्नः—क्या प्रतिवादी भगवानाराम एवं रामसिंह के खसरा संख्या 529 की नेखमबंदी करने के लिए मौके राजस्व टीम आई थी उस समय आप मौके पर थे?
उत्तरः—मैं मौके पर नहीं था।
प्रश्नः—क्या प्रतिवादी भगवानाराम व रामसिंह के खेत का नेखमबंदी का आदेश हुआ वह आपकी जानकारी में है?
उत्तरः—मेरी जानकारी में नहीं है।
प्रश्नः—क्या प्रतिवादी भगवानाराम व रामसिंह के खेत का सीमाज्ञान करने के राजस्व टीम मौके पर आई थी वह आपकी जानकारी में है?
उत्तरः—मेरी जानकारी में नहीं है।
प्रश्नः—क्या वादग्रस्त आराजी में सरदाराराम का भाई खूमाराम का घर बना हुआ है?
उत्तरः—वादग्रस्त आराजी में खूमाराम का घर बना हुआ है।
प्रश्नः—क्या वादग्रस्त आराजी के आधे हिस्से में खूमाराम के बेटे भेराराम का घर बना हुआ है?
उत्तरः—खूमाराम के बेटे भेराराम का घर बना हुआ है।
प्रश्नः—क्या भेराराम के साथ आपका बेटा खेताराम काम करता है यह बात सही है?
उत्तरः—हां, यह बात सही है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि आप खूमाराम के कहने से गवाह देने आए हो।
उत्तरः—हां, यह बात सही है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि आपको घर पर खूमाराम ने यह बयान इस तरीके से देने के लिए कहा?
उत्तरः—हां, यह बात सही है।
प्रश्नः—आपने शपथ पत्र में अक्षांश व देशान्तर लिखे है अशांक्ष व देशान्तर क्या होते है?
उत्तरः—अक्षांक्ष व देशान्तर की मुझे जानकारी नहीं है।

10. प्रकरण में वादीगण साक्ष्य के पश्चात् पत्रावली प्रतिवादी साक्ष्य में नियत की गई। प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप कोई दस्तावेज प्रस्तुत नहीं किये। प्रकरण में प्रतिवादीगण द्वारा साक्ष्य स्वरूप निम्न गवाह प्रस्तुत किए—

नाम	जाति	निवासी	गवाह
भगवानाराम पुत्र भीखाराम	जाट	बेरड़ों का पाना	डी0डब्ल्यू—1
जेठाराम पुत्र मोडाराम	जाट	सियोलों का डेर	डी0डब्ल्यू—2

11. प्रकरण में भगवानाराम पुत्र भीखाराम डी.डब्ल्यू.—01, जेठाराम पुत्र मोडाराम डी. डब्ल्यू—02 द्वारा हलफनामा प्रस्तुत कर समान रूप से निम्न प्रकार कथन किये—
    - कि वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पूर्वजों द्वारा मूल खसरा संख्या 529 के अलग—अलग भागों को जरिये पंजीबद्ध बयनामा क्रय किया जाकर मौके पर पंजीबद्ध बयनामा में उल्लेखित हिस्सा अनुसार ही कब्जा प्राप्त किया जाकर वक्त खरीद से काबिज होकर काश्त करते आ रहे हैं। वादीगण एवं प्रतिवादीगण के पक्ष में निष्पादित पंजीबद्ध बयनामा में किसी प्रकार के अक्षांश व देशांतर स्थिति के संबंध में उल्लेख नहीं किया जाकर पूर्व खातेदारों द्वारा केवल अपना हिस्सा बेचान किया गया था। वर्तमान में वादीगण प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी खसरा संख्या 529 की नेखमबंदी नहीं होने देने हेतु वादीगण द्वारा उक्त वाद पेश किया जाकर प्रतिवादीगण की सेढा माठ तोड़ने पर आमादा हुए हैं। इस प्रकार उक्त वाद प्रतिवादीगण की नेखमबंदी की पालना को रोकने, प्रतिवादीगण को अपनी आराजी बताते हुए अपना अधिकार जताने हेतु मिथ्या तथ्यों एवं विधिविरूद्ध वाद पेश किया होने से वाद वादी खारिज फरमाया जावे। साथ ही प्रतिवादी के पक्ष में इस आशय की स्थाई निषेधाज्ञा जारी की जावे कि वादी प्रतिवादीगण की खातेदारी आराजी में किसी प्रकार की दखलअंदाजी व मजाहमात पैदा नहीं करें।

12. प्रकरण में भगवानाराम पुत्र भीखाराम डी.डब्ल्यू.—01 ने वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि

    प्रश्नः—आपकी जन्म तारीख क्या है?

    उत्तरः—मेरी जन्म तिथि सन 1964 है।

    प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि वादग्रस्त जमीन मूल खसरा संख्या 529 का वक्त बंदोबस्त किसके नाम हुआ आपको पता नही?

    उत्तरः—यह बात गलत है। उक्त खसरे का वक्त बंदोबस्त मोडाराम, देवाराम पिसरान ताजाराम के नाम हुआ।

    प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529 का वक्त सेटलमेंट का रकबा आपको याद नहीं है?

    उत्तरः—यह बात गलत है। मुझे याद है।

    प्रश्नः—मूल खसरा संख्या 529 का वक्त सेटलमेंट रकबा कितना था?

    उत्तरः—63 बीघा व 7—8 बिस्वा।

    प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि मूल खसरा संख्या 529 के खातेदार देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम के द्वारा सर्वप्रथम प्रथम बेचान दस्तावेज लिखमाराम,

गोकलाराम पिसरान डूंगराराम, सरदाराराम पुत्र कानाराम जाति जाट निवासी बेरड़ो का पाना को सन 1957 में बेचान किया था?
उत्तरः—यह असत्य है।
प्रश्नः—क्या आप बता सकते हो कि देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम के द्वारा खसरा संख्या 529 में से भूमि का बेचान प्रथम बार किसको किया?
उत्तरः—हां, मैं बता सकता हूं। प्रथम बेचान मेरे पिताजी भीखारामजी को किया।
प्रश्नः—क्या आपने जो प्रथम बेचान देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम के द्वारा किये गये बेचान का हवाला जवाबदावे में दिया?
उत्तरः—बिल्कुल दिया है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि जवाबदावा का भाग ए से बी आपके द्वारा पेश किया गया है?
उत्तरः—हां, यह बात सही है।
प्रश्नः—जवाबदावा का कौनसा भाग में आपने यह लिखा हो कि प्रथम बेचान देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम द्वारा भीखाराम को किया गया हो?
उत्तरः—जवाबदावा देखकर गवाह ने बताया कि बिन्दु संख्या 2 में लिखा गया है।
प्रश्नः—देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम के द्वारा भीखाराम को बेचान रकबे के खसरा संख्या कितने अंकित किये गये है?
उत्तरः—खसरा संख्या 529 अंकित किये गये।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529 की भूमि आपको पैतृक मिली है?
उत्तरः—पैतृक नहीं मिली है, मूल रजिस्ट्री में मेरा नाम है। मोडाराम ने जमीन का बेचान भगवानाराम को किया है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि देवाराम, मोडाराम ने भूमि का बेचान भीखाराम को नहीं किया?
उत्तरः—दोनो की संयुक्त रजिस्ट्री हुई है। भीखाराम व भगवानाराम दोनो की आधी—आधी रजिस्ट्री हुई है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम द्वारा आपको व आपके पिताजी को करीबन 1965 के आसपास रजिस्ट्री करवाई हो?
उत्तरः—यह कहना गलत है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि देवाराम, मोडाराम पिता ताजाराम के द्वारा आपको किये गये बेचान का सन आप नही बता सकते?
उत्तरः—चूंकि उस समय मैं छोटा था, 6 वर्ष से कम का था इसलिए मुझे एक्जेट डेट याद नहीं है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि सन 1957 में देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम द्वारा लिखमाराम, गोकलाराम पिसरान डूंगराराम, सरदारा पुत्र कानाराम को भूमि का बेचान किया गया था?
उत्तरः—यह कहना असत्य है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529/1 खसरा संख्या 529 का भाग है?
उत्तरः—यह कहना सही है कि खसरा संख्या 529 में से विभाजित होकर खसरा संख्या 529/1 बना है।

प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529/1 के खातेदार सरदाराम पुत्र काना, हिरो पत्नी खुमाराम है?
उत्तरः—यह कहना गलत है कि है। इसमें मूल खातेदार में लिखमाराम व गोकलाराम खातेदार थे। दोनो ने हिरोदेवी को 21 बीघा जमीन बेचान की।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529/1 वर्तमान रेकर्डेड खातेदार के खरीदशुदा है?
उत्तरः—यह कहना सही है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529/1 खसरा संख्या 529 में से खरीद की हुई है?
उत्तरः—हां, यह बात सही है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529 में से लिखमाराम, गोकलाराम व सरदाराराम ने आप व आपके पिता से भूमि क्रय नहीं की है?
उत्तरः—यह कहना सही है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा सख्या 529 की भूमि का देवाराम, मोडाराम पिता ताजाराम के द्वारा आपको बेचान करने के बाद इस खसरे में देवाराम, मोडाराम के नाम का कोई रकबा शेष नहीं बचा?
उत्तरः—यह बात गलत है। इस खसरे में 529/1 है जो शेष बचा है जो वादीगण को विक्रय किया।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि आपको यह याद नहीं है कि आपने खसरा संख्या 529 में कितना रकबा क्रय किया?
उत्तरः—यह कहना गलत है। मुझे अच्छी तरह याद है मैने खसरा संख्या 529 में से 21 बीघा 05 बिस्वा खरीदा है। प्रतिवादीगण लिखमा, गोकला पुत्र डूंगरा, सरदारा पुत्र कना ने 42 बीघा जमीन खरीदी।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529 व 529/1 पास—पास में आए हुए है?
उत्तरः—हा, यह बात सही है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529 व 529/1 के खातेदारों का आपस में सीमा को लेकर विवाद चल रहा है?
उत्तरः—हा, यह बात सही है। सीमाओं को लेकर विवाद चल रहा है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि वादग्रस्त आराजी खसरा संख्या 529/1 की भूमि में हीरोदेवी व हिरोदेवी के पुत्रों चम्पालाल व भैरसिंह का रहवासी ढाणिया बनी हुई है?
उत्तरः—हा, यह बात सही है। वादी हिरोदेवी व उनके पुत्रों के रहवासी घर बने हुए है। लेकिन मूल वादी सरदाराराम का इस आराजी में कोई कब्जा वगैरा नहीं है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि आपके खेत खसरा संख्या 529 में शीशम के पौधे लगाए हुए है?
उत्तरः— हां यह बात सही है। बीच में पक्की सड़क चलती है वहां पर लगाए हुए है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि शीशम बहुत किमती पौधा है?
उत्तरः—मुझे किमत के बारे में कोई ध्यान नहीं है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि आपके खसरा संख्या 529 की तारबंदी की हुई है?
उत्तरः—पूर्व व दक्षिण दिशा की तरफ तारबंदी की हुई है।

प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि वक्त रजिस्ट्री भूमि की पैमाईश करवाकर आपने कब्जा नहीं लिया?
उत्तरः—यह बात गलत है।
प्रश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529 की पैमाईश आपने सन 2017 में करवाई?
उत्तरः—यह बात गलत है। पहले भी करवाई और सन 2017 में भी करवाई।
प्रश्नः—यह बात सही है कि खसरा संख्या 529/1 के खातेदार सरदाराराम व हिरोदेवी के खेत की चारो तरफ बाड़ की हुई है?
उत्तरः—तीनो तरफ बाड़ की हुई है। खसरा संख्या 529 की तरफ बाड़ की हुई नहीं है।
प्रश्नः—यह बात सही है कि वादीगण व आप प्रतिवादी के बीच इस जमीन को लेकर कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ?
उत्तरः—कई बार विवाद हुए।
प्रश्नः—यह बात सही है कि वादीगण व आप प्रतिवादी के बीच इस जमीन को लेकर कोई फौजदारी मुकदमा दर्ज नहीं हुआ?
उत्तरः—मेरे पिताजी के समय हुआ था।
प्रश्नः—आपके पिताजी का स्वर्गवास कब हुआ?
उत्तरः—मेरे पिताजी का स्वर्गवास करीबन 25 वर्ष पहले हुआ। जब वादीगण ने जबरन कब्जा करने की कोशिश की।
प्रश्नः—जब आपके पिताजी व वादीगण के बीच जमीन को लेकर आज से 25 वर्ष पूर्व फौजदारी मुकदमा हुआ तो मुकदमा आपने दर्ज करवाया या आपके पिताजी ने करवाया?
उत्तरः—मेरे पिताजी ने करवाया।
प्रश्नः—जब पिताजी मुकदमा दर्ज करने गए तो आप भी साथ में थे?
उत्तरः—मैं साथ में नहीं था।
प्रश्नः—यह बात सही है कि वादीगण के खेत खसरा संख्या 529 की बाहरी सीमाओं पर बड़े—बड़े पेड़—पौधों लगे हुए है?
उत्तरः—सभी सीमाओं पर नहीं है। सिर्फ सड़क पर है। जो मैंने लगाए थे।
प्रश्नः—यह बात सही है कि खसरा संख्या 529/1 सड़क पर नहीं लगता है?
उत्तरः—यह बात सही है।
प्रश्नः—यह बात सही है कि खसरा संख्या 529 के मूल खातेदार देवाराम, मोडाराम पिता ताजाराम के द्वारा सबसे पहले सन 1957 में भूमि का बेचान वादीगण व उनके पूर्वाधिकारी को किया उस से करीबन 10 वर्ष बाद देवाराम, मोडाराम पिता ताजाराम के द्वारा 21 बीघा भूमि का बेचान आप व आपके पिताजी के पक्ष मे कर कब्जा वक्त रजिस्ट्री सभी खरीददारों को सुपुर्द कर दिया, परंतु मौके पर पैमाईश नहीं की गई थी?
उत्तरः—मौके पर पैमाईश की गई। 21 बीघा 05 बिस्वा प्रतिवादीगण भीखाराम व भगवानाराम को और 42 बीघा वादीगण लिखमा, गोकला पुत्र डुंगरा, सरदारा पुत्र कना को दी गई।
प्रश्नः—यह बात सही है कि सही खसरे की सीमा का ज्ञान पटवारी द्वारा पैमाईश व नेखमबंदी करने पर ज्ञात हुआ?
उत्तरः—हमें सीमा का ज्ञान नेखमबंदी आदेश के पहले से ही था।

प्रश्नः—यह बात सही है कि सीमाज्ञान व नेखमबंदी आदेश के बाद सीमा में कोई परिवर्तन नहीं हुआ?
उत्तरः—यह बात गलत है। परिवर्तन हुआ है और रात्रि को वादीगण द्वारा प्रतिवादी की जमीन पर कब्जा किया गया।
प्रश्नः—यह बात सही है कि जब कब्जा किया गया तो कोई लड़ाई झगड़ा नहीं हुआ?
उत्तरः—रात्रि को कब्जा हुआ है दिन में कहासुनी हुई।

13. प्रकरण में जेठाराम पुत्र मोडाराम डी.डब्ल्यू.—02 ने वादी की जिरह में मुख्य परीक्षण में अभिकथन किया कि
प्रश्नः—यह बात सही है कि वादग्रस्त आराजी व आपकी ढाणी के बीच करीबन 7—8 किमी. दूरी है?
उत्तरः—यह बात गलत है। 6 किमी दूरी है।
पश्नः—यह बात सही है कि वादीगण व प्रतिवादीगण के खेत की सीमाओं को लेकर आपस में विवाद है?
उत्तरः—हां यह बात सही है।
पश्नः—क्या यह बात सही है कि खसरा संख्या 529/1 में आपको कभी जाने की जरूरत नहीं पड़ी?
उत्तरः—हां यह बात सही है। बहुत कम।
पश्नः—क्या यह बात सही है कि यह जमीन सरदाराराम वगैरा ने कब खरीदी आपको पता नहीं?
उत्तरः—हां यह बात सही है।
पश्नः—क्या यह बात सही है कि वादी संख्या 02 हिरोदेवी व उनके पति खूमाराम ग्राम पंचायत पीपराली के सरपंच रहे है?
उत्तरः—यह बात सही है। दोनो बारी—बारी से रहे है।
पश्नः—क्या यह बात सही है कि खूमाराम व हिरोदेवी के कार्यकाल में किये गये कामों को लेकर आपके द्वारा मुकदमा दर्ज करवाया हुआ है?
उत्तरः—हां, यह कहना सही है। मैने मुकदमा दर्ज करवाया है।
पश्नः—आपने कितने साल पहले मुकदमा दर्ज करवाया था?
उत्तरः—7—8 साल पहले।
पश्नः—क्या यह बात सही है कि सबसे पहले देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम ने श्री सरदाराराम, लिखमाराम, गोकलाराम पिसरान डूंगराराम को बेचान किया तब आप साथ में नहीं थे?
उत्तरः—यह बात सही है।
पश्नः—क्या यह बात सही है कि द्वितीय बार देवाराम, मोडाराम पिसरान ताजाराम ने भीखाराम व भगवानाराम को भूमि का बेचान किया तब भी आप साथ में नहीं थे?
उत्तरः—यह बात सही है।

14. वाद—पत्र में विद्वान अभिभाषकगण उभयपक्षकारान की बहस सुनी गई। बहस के दौरान वादी अधिवक्ता ने वाद पत्र में अंकित तथ्यों को दोहराते हुए उल्लेख किया कि दावा वादी स्वीकार फरमाया जाकर वादी व तरतीबी प्रतिवादी को कब्जा मुखालखाना के आधार पर खातेदार घोषित किया जाकर प्रतिवादीगण को जरिये

स्थाई निषेधाज्ञा से पाबन्द किया जावे कि वो वादी की कब्जे काश्त की खातेदारी आराजी में किसी भी प्रकार की रूकावट मजाहमत पैदा न करे। दौरान—ए—बहस अधिवक्ता प्रतिवादी द्वारा जवाबदावा में अंकित तथ्यों को दौहराते हुए वाद वादी खारिज फरमाने का निवेदन किया।

15. मैंने बहस पर मनन किया एवं पत्रावली में संलग्न दस्तावेजात् का अवलोकन किया। प्रकरण में वादी द्वारा कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जा/एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा है। प्रकरण में तनकीवार विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 निम्न प्रकार हैः—

    1. आया वादीगण वाद वर्णित क्षेत्र पर दीर्घकाल से कब्जा होने के आधार पर अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम दुरूस्त करवाने के अधिकारी है।

    .....वादी

16. प्रकरण में तनकी संख्या 01 मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा से संबंधित होने के कारण राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 से संबंधित है। इस कारण प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः सर्वप्रथम राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

    ***15. Khatedar tenants**— (1) Subject to the provisions of section 16 and clause (d) of Sub-section (1) of section 180 **every person who, at the commencement of this Act, is a tenant of land** otherwise than as a sub-tenant or a tenant of Khudkasht **or who is, after the commencement of this Act, admitted as a tenant** otherwise than a sub-tenant or tenant of Khudkasht **or an allottee of land under, and in accordance with, rules made under section 101 of the Rajasthan Land Revenue Act, 1956 (Rajasthan Act 15 of 1956)** or **who acquires Khatedari rights in accordance with provisions of this Act or of the Rajasthan Land Reforms and Resumption of Jagir Act, 1952 (Rajasthan Act VI of 1952) or of any other law for the time being in force** shall be a Khatedar tenant and shall, subject to the provision of this Act be entitled to all the rights conferred; and be subject to all the liabilities imposed on Khatedar tenants by this Act:*

    ***Provided that** no Khatedari rights shall accrue under this section to any tenant, to whom land is or has been let out temporarily in Gang Canal, Bhakra, Chambal or Jawai project area or any other area notified in this behalf by the State Government.*

    (2) Notwithstanding anything contained in sub-section (1) Khatedari rights shall not accrue there under to any person to whom land had been let out before the commencement of this Act by the State Government in furtherance of the Grow More Food Campaign or under some special order subject to some specified conditions or in pursuance of some statutory or non-

statutory rules and who shall have, before such commencement, made a default in securing the objective of such campaign or a breach of any such order, condition or rule.

(3) Any person referred to in sub-section (2) may, within three years from the date of commencement of this Act and on payment of a court-fee of twenty five naye paise apply to the Assistant Collector having jurisdiction praying for a declaration that acquired Khatedari right under sub-section (1) in the land held by him.

(4) Such application may be made on any of the following grounds, namely:
(a) that the land held by him was let out to him after the" commencement of this Act.
(b) that it was not let out to him in any of the circumstances specified in sub-section (2).
(c) that when the- land was so let out to him he was not apprised of such circumstances.
(d) that he had, before such commencement made no default or breach of the nature specified in sub-section (2).

(5) The Assistant Collector shall, upon the presentation of an application under sub-section (3), make inquiry in the prescribed manner and afford reasonable opportunity to the applicant of being heard and shall, if he does not reject the application , declare the applicant to have become Khatedar tenant of his holding in accordance with and subject to the provisions of the subsection (I).

17. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्तियों को खातेदारी अधिकार प्रदान किये जाने के प्रावधान बनाये गये हैंः—

1. *वह प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने की दिनांक 15.10. 1955 को काश्तकार रहा है।*
2. *वह प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने के पश्चात् काश्तकार के रूप में शामिल/मान्य किया गया हो।*
3. *वह प्रत्येक आवंटी, जिसको राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—101 के तहत बनाये गये नियमों के तहत भूमि आवंटित की गई हो।*
4. *वह प्रत्येक व्यक्ति, जो राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के तहत या राजस्थान भूमि सुधार एवं जागीर पुनर्ग्रहण अधिनियम—1952 के तहत या तत्समय प्रभावी किसी अन्य विधि के तहत खातेदारी अधिकार अधिग्रहण करता हो।*

18. प्रकरण में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 व 19 के द्वारा प्रदत्त खातेदारी अधिकारों की घोषणा के लिये अब राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***88. Suits for declaration of right—***
>
> ***(1) Any person claiming to be a tenant or a co-tenant may sue for a declaration that he is a tenant or for a declaration of his share in such joint tenancy.***
>
> *(2) A tenant of Khudkasht may sue for a declaration that he is such a tenant.*
>
> ***(3) A sub-tenant may sue the person from whom he holds for declaration that he is a sub-tenant.***
>
> *(4) A landholder other than a State Government may sue a person claiming to be a tenant or co-tenant of a holding or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant for a declaration of the right of such person.*

19. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के अनुसार निम्न श्रेणी के व्यक्ति अपने खातेदारी अधिकार हेतु दावा प्रस्तुत कर सकते हैंः—
    1. *कोई भी व्यक्ति जो स्वयं को काश्तकार व सहकाश्तकार होने का दावा करता हो वह व्यक्ति काश्तकार घोषित होने या सहकाश्तकारी में अपने हिस्से हेतु घोषणा का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*
    2. *कोई खुदकाश्त का कृषक स्वयं को काश्तकार घोषित करवाने हेतु दावा प्रस्तुत कर सकता है।*
    3. *कोई उपकृषक जिस व्यक्ति से भूमि धारित करता है उस व्यक्ति के विरूद्ध स्वयं को उपकृषक घोषित होने का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*

20. इस प्रकार स्पष्ट है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 व धारा—19 के द्वारा खातेदारी अधिकार के संबंध में प्रावधान किये गये हैं। इन राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रभाव में आने के पश्चात् काश्तकार के रूप में शामिल/मान्य किये जाने के तहत प्रदत्त अधिकारों की घोषणा व राजस्व इन्द्राज दुरूस्ती हेतु राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत सक्षम न्यायालय में दावा प्रस्तुत करने का उपचार/माध्यम प्रदान किया गया है। इसी कड़ी में राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। अतः राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 का उद्धरण यहां प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> ***89. Suit as to class of tenancy etc.—*** *At any time during the continuance of a tenancy, the tenant or a landholder other than the State Government may sue for declaration as to all or any of the following matters, namely:-*
> ***(a) the class to which the tenant belongs.***
> ***(b) the area, numbered plots or boundaries of the holding.***
> *(c) the rent payable in respect of the holding-and the manner in which it is payable:*
> *(d) in the case of rent payable in case, the dates on which and the instalments in which it is payable.*
> *(e) in the case of rent payable in kind, the time place and manner of appraisement, division or delivery of the crops.*
> *(f)* ***in the case of a Gair Khatedar tenant or a tenant of Khudkasht or a sub-tenant, the term for which the tenancy is to run****. and.*
> *(g) any special conditions not inconsistent with the provisions of this Act.*

21. उपरोक्त राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 के अवलोकन से ज्ञात होता है कि राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—89 के अनुसार बतौर काश्तकार निम्न प्रकरणों में दावा प्रस्तुत किया जा सकता हैः—
    1. *कोई काश्तकार स्वयं की काश्तकार की श्रेणी यथा खातेदार, गैर—खातेदार घोषित होने के संबंध में घोषणा का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*
    2. *कोई काश्तकार* ***स्वयं के द्वारा धारित रकबे, खसरा संख्या व खसरों की सीमाओं*** *के संबंध में घोषणा का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*
    3. *कोई गैर—खातेदार काश्तकार, खुदकाश्त कृषक व उपकृषक अपनी अभिधारिता अवधि के संबंध में घोषणा का दावा प्रस्तुत कर सकता है।*

22. प्रकरण में अग्रिम विश्लेषण से पूर्व सिविल मामलों में संबंधित पक्षों के दावे व खण्डन के संबंध में साबित करने के भार के संबंध में कानूनी स्थिति का अवलोकन किया जाना अपेक्षित है। इस संबंध में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। इस प्रकार भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों का उद्धरण निम्न प्रकार है—

OF THE BURDEN OF PROOF

> ***104. Burden of proof****.—Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts must prove that those facts exist, and when a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person.*
>
> *Illustrations.*
> *(a) A desires a Court to give judgment that B shall be punished for a crime which A says B has committed. A must prove that B has committed the crime.*
>
> *(b) A desires a Court to give judgment that he is entitled to certain land in the possession of B, by reason of facts which he*

asserts, and which B denies, to be true. A must prove the existence of those facts.

***105. On whom burden of proof lies**.—The burden of proof in a suit or proceeding lies on that person who would fail if no evidence at all were given on either side.*

Illustrations.

(a) A sues B for land of which B is in possession, and which, as A asserts, was left to A by the will of C, B's father. If no evidence were given on either side, B would be entitled to retain his possession. Therefore, the burden of proof is on A.

(b) A sues B for money due on a bond. The execution of the bond is admitted, but B says that it was obtained by fraud, which A denies. If no evidence were given on either side, A would succeed, as the bond is not disputed and the fraud is not proved. Therefore, the burden of proof is on B.

***106. Burden of proof as to particular fact**.—The burden of proof as to any particular fact lies on that person who wishes the Court to believe in its existence, unless it is provided by any law that the proof of that fact shall lie on any particular person.*

Illustration.

A prosecutes B for theft, and wishes the Court to believe that B admitted the theft to C. A must prove the admission. B wishes the Court to believe that, at the time in question, he was elsewhere. He must prove it.

***107. Burden of proving fact to be proved to make evidence admissible**.—The burden of proving any fact necessary to be proved in order to enable any person to give evidence of any other fact is on the person who wishes to give such evidence.*

Illustrations.

(a) A wishes to prove a dying declaration by B. A must prove B's death.

(b) A wishes to prove, by secondary evidence, the contents of a lost document. A must prove that the document has been lost.

23. इस संबंध में माननीय उच्चतम न्यायालय द्वारा सिविल अपील संख्या 2413/2006 उनवान में निर्णय दिनांक 02.05.2006 में साक्ष्य अधिनियम—1887 के प्रासंगिक प्रावधानों की विवेचना करते हुए किसी दावे में साबित करने के भार के बारे में विस्तृत विवेचना करते हुए न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किया है। उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक विवेचन का उद्धरण निम्न प्रकार है—

The initial burden of proof would be on the plaintiff in view of Section 101 of the Evidence Act, which reads as under:-

> *"Sec. 101. Burden of proof.- Whoever desires any Court to give judgment as to any legal right or liability dependent on the existence of facts which he asserts, must prove that those facts exist.*

When a person is bound to prove the existence of any fact, it is said that the burden of proof lies on that person."
In terms of the said provision, the burden of proving the fact rests on the party who substantially asserts the affirmative issues and not the party who denies it. The said rule may not be universal in its application and there may be exception thereto.....
Pleading is not evidence, far less proof. Issues are raised on the basis of the pleadings. The defendant-appellant having not admitted or acknowledged the fiduciary relationship between the parties, indisputably, the relationship between the parties itself would be an issue. The suit will fail if both the parties do not adduce any evidence, in view of Section 102 of the Evidence Act. Thus, ordinarily, the burden of proof would be on the party who asserts the affirmative of the issue and it rests, after evidence is gone into, upon the party against whom, at the time the question arises, judgment would be given, if no further evidence were to be adduced by either side.

xxx

There is another aspect of the matter which should be borne in mind. A distinction exists between a burden of proof and onus of proof. The right to begin follows onus probandi. It assumes importance in the early stage of a case. The question of onus of proof has greater force, where the question is which party is to begin. Burden of proof is used in three ways : (i) to indicate the duty of bringing forward evidence in support of a proposition at the beginning or later; (ii) to make that of establishing a proposition as against all counter evidence; and (iii) an indiscriminate use in which it may mean either or both of the others. The elementary rule is Section 101 is inflexible. In terms of Section 102 the initial onus is always on the plaintiff and if he discharges that onus and makes out a case which entitles him to a relief, the onus shifts to the defendant to prove those circumstances, if any, which would disentitle the plaintiff to the same.

In R.V.E. Venkatachala Gounder v. Arulmigu Viswesaraswami & V.P. Temple and Anr., the law is stated in the following terms :

> *"29. In a suit for recovery of possession based on title it is for the plaintiff to prove his title and satisfy the court that he, in law, is entitled to dispossess the defendant from his possession over the suit property and for the possession to be restored to him. However, as held in A. Raghavamma v. A. Chenchamma there is an essential distinction between burden of proof and onus of proof:*
>
> *burden of proof lies upon a person who has to prove the fact and which never shifts. Onus of proof shifts. Such a shifting of onus is a continuous process in the evaluation of evidence. In our opinion, in a suit for possession based on title once the plaintiff has been able to create a high degree of probability so as to shift the onus on the defendant it is for the defendant to discharge his onus and in the absence thereof the burden of proof lying on*

the plaintiff shall be held to have been discharged so as to amount to proof of the plaintiff's title."

24. प्रकरण में भारतीय साक्ष्य अधिनियम—2023 के प्रासंगिक प्रावधानों तथा उक्त न्यायिक दृष्टांत का अवलोकन करने पर कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि जहां आपराधिक प्रकरणों में निर्णयन संदेहरहित प्रमाणन के आधार पर किया जाता है। वही सिविल प्रकृति के मामलों में संभावनाओं की प्रबलता/प्रधानता के आधार पर निर्णयन किया जाता है। साथ ही यह भी कानूनी स्थिति है कि दावे के अभिवचन साक्ष्य नहीं होते है। दावाकर्त्ता व्यक्ति को अपने दावे के समर्थन में पृथक से साक्ष्य प्रस्तुत करते हुए अपने दावे के तथ्य को साबित करने का दायित्व होता है।

25. इसके साथ ही यह भी कानूनी स्थिति स्पष्ट होती है कि सबूत का भार (Burden of Proof) तथा प्रमाण का भार (Onus of Proof) में अंतर है। किसी सिविल दावे में सबूत का भार (Burden of Proof) प्रमुखतः वादी पर होता है। सबूत का भार (Burden of Proof) स्थानांतरित नहीं होता है। जबकि प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता है। किसी सिविल दावे में किसी तथ्य को साबित करने का भार (Burden of Proof) उस तथ्य के आधार पर दावा करने वाले व्यक्ति पर होता है। जब किसी तथ्य को किसी व्यक्ति द्वारा प्रमाण का भार (Onus of Proof) पूर्ण करते हुए साबित करने का दायित्व पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) प्रतिद्वंदी पर आ जाता है। अब प्रतिद्वंदी को उक्त तथ्य विशेष के खण्डन हेतु साबित करने का भार (Onus of Proof) होने के कारण अगर प्रमाण प्रस्तुत करते हुए प्रमाणन का भार (Onus of Proof) पूर्ण किया जाता है तो प्रमाण का भार (Onus of Proof) वापस स्थानांतरित हो जाता है। इस प्रकार प्रमाण का भार (Onus of Proof) स्थानांतरित होता रहता है। यह एक अनवरत प्रक्रिया है। जो व्यक्ति प्रमाणन का भार (Onus of Proof) का दायित्व पूर्ण करने में असफल रहता है उसके विरूद्ध उक्त तथ्य को साबित माना जाता है।

26. प्रकरण में अब तथ्यों का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में वादी द्वारा प्रस्तुत दस्तावेजो/राजस्व रिकॉर्ड के आधार पर वादी स्वय् खातेदार दर्ज रिकॉर्ड नही है। प्रकरण में वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 को काश्तकार साबित नही है। साथ ही वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 के पश्चात खातेदार काश्तकार के रूप में शामिल नही हुआ। साथ ही वादी राजस्थान भू—राजस्व अधिनियम—1956 की धारा—101 के तहत बनाये गये नियमों के तहत वैध आवंटी काश्तकार साबित नही है। साथ ही वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 को वार्षिक राजस्व रिकॉर्ड में वास्तविक कृषक/उपकृषक दर्ज साबित नही है। साथ ही वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 के प्रवृत होने की तिथि/15.10.1955 को वास्तविक कृषक/उपकृषक के रूप में मौके पर काबिज काश्त किया जाना साबित नही है। इस प्रकार वादी राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—15 व 19 के अनुसार खातेदार घोषित होने की पात्रता रखना साबित नही कर पाया।

27. प्रकरण में वादी द्वारा कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जा/एडवर्स पजेशन के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत खातेदारी अधिकार प्राप्ति हेतु अनुतोष चाहा है। उक्त अनुतोष राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—88 के तहत राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—63 के तहत निवेदित किया गया है। माननीय राजस्व मंडल अजमेर द्वारा छोटू बनाम छीतर व गोपाल बनाम श्रावणी अपील में दिनांक 12.11.2013 को दिये गये निर्णय तथा सरजू राव बनाम अमृत लाल प्रकरण संख्या—2002/5176 अपील में दिनांक 30.08.2018 को दिये गये निर्णय में विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार नहीं मिलने का न्यायिक दृष्टांत प्रतिपादित किये हैं। अतः प्रकरण में उक्त न्यायिक दृष्टांत के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण निम्न प्रकार हैः—

> *60- After giving an exhaustive consideration to the matter in hand, we are also constrained to note that in the Rajasthan Tenancy Act, 1955, there is no provision in whom the khatedari rights would vest in case the land has been acquired by a person through adverse possession. It is creating a lot of chaos and confusion among the litigants as well as the administrative machinery. This omission in the land laws has also become a cause of multiplicity of litigation. Therefore, we would like to recommend the State of Rajasthan through Chief Secretary for 39 making suitable changes in the land laws of the State so as to abolish the law of adverse possession in its entirety and in the alternate to make a clarification for vesting of khatedari rights of the lands, which have been acquired through adverse possession.*

12. माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के आधार पर विपरीत कब्जे के आधार पर राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 की धारा—63 के तहत स्वामित्व/खातेदारी अधिकार नहीं मिलने के न्यायिक दृष्टांत के आधार पर भी वादी को उक्त आराजी पर विपरीत कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्रोद्भूत नहीं हो सकते। माननीय सर्वोच्च न्यायालय द्वारा सिविल अपील 7764/2014 रविंद्र कौर ग्रेवाल बनाम मंजीत कौर प्रकरण में दिनांक 07.08.2019 को दिये गये निर्णय के प्रासंगिक पैरा का उद्धरण यहा प्रासंगिक है। जो कि इस प्रकार हैः—

> *39. In the light of the aforesaid discussion, when we consider the decision in Gurdwara Sahib v. Gram Panchayat Village Sirthala & Anr., (2014) 1 SCC 669 decided by twoJudge Bench wherein a question arose whether the plaintiff is in adverse possession of the suit land this Court referred to the Punjab & Haryana High Court decision on Gurdwara Sahib Sannauli v. State of Punjab (2009) 154 PLR 756 and observed that there cannot be 'any quarrel' to the extent that the judgments of courts below are correct and without any blemish. Even if the plaintiff is found to be in adverse possession, it cannot seek a declaration to the effect that such adverse possession has matured into ownership. The discussion made is confined to para 8 only. The same is extracted hereunder:*

"4. In so far as the first issue is concerned, it was decided in favour of the plaintiff returning the findings that the appellant was in adverse possession of the suit property since 13.4.1952 as this fact had been proved by a plethora of documentary evidence produced by the appellant. However, while deciding the second issue, the court opined that no declaration can be sought on the basis of adverse possession inasmuch as adverse possession can be used as a shield and not as a sword. The learned Civil Judge relied upon the judgment of the Punjab and Haryana High Court in Gurdwara Sahib Sannuali v. State of Punjab (2009) 154 PLR 756 and thus, decided the issue against the plaintiff. Issue 3 was also, in the same vein, decided against the appellant.

13. इस प्रकार उपरोक्त विधि प्रावधानो एवं न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में स्पष्ट है कि वर्तमान संदर्भ में केवल कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जे के आधार पर स्वामित्व का अधिकार प्राप्त नही हो सकता है। राजस्थान काश्तकारी अधिनियम—1955 में भी केवल कब्जा मुखालफाना/विपरित कब्जे के आधार पर खातेदारी अधिकार प्राप्त होने के कोई प्रावधान नही है। उक्त विधिक स्थिति के आधार पर वादीगण को खातेदारी अधिकार प्राप्त नहीं हो सकते। इस प्रकार उपरोक्त विधि प्रावधानो एवं न्यायिक दृष्टान्तो के परिपेक्ष्य में वादी का अनुतोष पोषणीय नही है। प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के विपक्ष में फैसल की जाती है। इस आधार पर वादी हाल राजस्व इन्द्राज में अंकित तरमीम के अतिरिक्त अन्य आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी नहीं है।

14. प्रकरण में अब तनकी संख्या 02 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 02 निम्न प्रकार हैः—

> 2. आया वादीगण वाद वर्णित क्षेत्र पर बेचान दस्तावेज के आधार पर दीर्घकाल से कब्जा होने के आधार पर अपनी खातेदारी आराजी की तरमीम दुरूस्त करवाने के पश्चात विरूद्ध प्रतिवादी मुताबिक वादपत्र वर्णित अनुतोष स्थायी निषेधाज्ञा प्राप्त करने के अधिकारी है।
>
> .....वादी

15. प्रकरण में तनकी संख्या 02 मुतनाजा आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा के पश्चात् स्थाई निषेधाज्ञा से संबंधित है। चूंकि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के विपक्ष में फैसल की गई है। इस कारण तनकी संख्या 02 पर पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुतनाजा आराजी पर वादी हाल राजस्व इन्द्राज में अंकित तरमीम के अतिरिक्त अन्य आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी नहीं माना गया है। अतः मुतनाजा आराजी पर वादी हाल राजस्व इन्द्राज में अंकित तरमीम तक ही वादी स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी है। साथ ही वादी हाल राजस्व इन्द्राज में अंकित तरमीम के अतिरिक्त अन्य आराजी पर स्थाई निषेधाज्ञा प्राप्त करने का अधिकारी नहीं है। इस कारण तनकी संख्या 02 वादी के पक्ष में मुतनाजा आराजी पर वादी हाल राजस्व इन्द्राज में अंकित तरमीम की हद तक फैसल की जाती है।

16. प्रकरण में अब तनकी संख्या 03 का विश्लेषण किया जाना अपेक्षित है। प्रकरण में तनकी संख्या 03 निम्न प्रकार हैः—

> *3.* आया वादी के बेचान के पंजीकृत दस्तावेज में अक्षांश व देशांतर का कोई उल्लेख नहीं होने तथा उक्त अक्षांश व देशांतर के आधार पर प्रतिवादी की आराजी पर अवैध दखलांदाजी व कब्जा करने के उद्देश्य निहित होने के कारण तरमीम दुरूस्त का अनुतोष पोषणीय नहीं होने तथा स्थायी निषेधाज्ञा का प्रकरण नहीं बनने के कारण काबिल—ए—खारिज है।
>
> .....प्रतिवादी

17. प्रकरण में तनकी संख्या 03 एक तरह से तनकी संख्या 01 के खण्डन से संबंधित है। चूंकि प्रकरण में तनकी संख्या 01 वादी के विपक्ष में फैसल की गई है। इस कारण तनकी संख्या 03 पर पृथक से विश्लेषण की आवश्यकता नहीं है। क्योंकि मुतनाजा आराजी पर वादी हाल राजस्व इन्द्राज में अंकित तरमीम के अतिरिक्त अन्य आराजी पर खातेदारी अधिकारों की घोषणा का अधिकारी नहीं माना गया है। इस कारण तनकी संख्या 03 प्रतिवादी के पक्ष में फैसल की जाती है।

आदेश है कि—

दावा वादी बाबत इस्तकरारहक्क कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी का अनुतोष पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

पक्षकार अपना—अपना खर्चा वहन करेंगे।

यह निर्णय आज दिनांक 25.05.2026 को मेरे द्वारा लिखाया जाकर हस्ताक्षर एवं मुहर युक्त जारी किया जाकर सरे—इजलास सुनाया गया।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी

सत्यमेव जयते

न्यायालय

सहायक कलक्टर/उपखण्ड अधिकारी

गुढामालानी

(पीठासीन अधिकारी —केशव कुमार मीना आर.ए.एस.)

वाद संख्याः—2023/101 (38/2023) दर्ज तिथिः—18.04.2023

1. सरदारा पुत्र काना
2. हीरोदेवी पत्नी खुमाराम
   जाति जाट निवासी बैरड़ों का पाना तहसील गुड़ामालानी

.....वादीगण

बनाम

1. भगवानाराम पुत्र भीखाराम
2. रामसिंह पुत्र भीखाराम फौत के कायम मुकाम
   2/1 हरीश कुमार पुत्र रामसिंह
   2/2 दिनेश कुमार पुत्र रामसिंह
   2/3 भीखीदेवी पत्नी रामसिंह
   जाति जाट निवासी बैरड़ों का पाना तहसील गुड़ामालानी
3. शाखा प्रबंधक एसबीआई शाखा राणा प्रताप बाजा गुड़ामालानी
4. तहसीलदार गुड़ामालानी

.....प्रतिवादीगण

उपस्थित अधिवक्ता
वादीः—श्री डालुराम चौधरी
प्रतिवादीः—श्री बाबूलाल विश्नोई

राजस्व वाद अन्तर्गत धारा—88,89,188
राजस्थान काश्तकारी अधि—1955

—:पर्चा डिक्रीः—

दावा वादी बाबत इस्तकरारहक्क कब्जा मुखालफाना के आधार पर वादी का अनुतोष पोषणीय नही होने के कारण खारिज किया जाता है।

आज 25.05.2026 को यह पर्चा डिक्री तैयार की जाकर मेरे द्वारा सरे इजलास सुनाई जाकर हस्ताक्षर एवं मोहर युक्त जारी की गई।

(केशव कुमार मीना आर.ए.एस)
सहायक कलक्टर
गुढामालानी